

अन्जुमन हिमायत चपरासियान

रजिस्ट्रेशन नम्बर - 399/7/137/1938

शाखा- जनपद न्यायालय भदोही - ज्ञानपुर

अध्यक्ष

गोकरण प्रसाद पाण्डेय

मो0- 9532395075

संरक्षक

अब्दुल नवाब चिकवा

मो0- 9532395075

महामंत्री

कमलेश सिंह जैसवार

मो0- 9198580460

पत्रांक.....

दिनांक.....
05-02-2021

उपाध्यक्ष

ओम बहादुर श्रीवास्तव

मो0- 9936127981



कोषाध्यक्ष

कृपाशंकर पाण्डेय

मो0- 8858865679



संगठन मंत्री

अमृतलाल पाल

मो0- 9452071412



आय-व्यय मंत्री

जयशंकर प्रसाद

मो0- 8400103668



सूचना मंत्री

श्री राजेश जयसवाल

मो0- 9919145267



मंत्री

श्री छक्कूलाल यादव

मो0- 9451583463

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय
ज्ञानपुर-भदोही।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अन्जुमन हिमायत चपरासीयान संघ शाखा भदोही के समक्ष दिनांक 03.02.2021 को श्री अनवर अली व अब्दुल कलाम ने एक-एक प्रार्थना पत्र व नोटरी शपथ पत्र के साथ दिया है। उस प्रार्थना पत्र में यह दर्शाया गया है कि दिनांक 29.01.2021ई0 को समय 10:30 बजे श्री रमेश कुमार (दफ्तरी) से श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) भदोही साहब अपने विश्राम कक्ष में बुलवाये, विश्राम कक्ष में बैठे दरोगा श्री सुनील कुमार यादव (एस.आई.) से जज साहब बोले कि इन लोगों ने हमारे स्टेनो (नेहा रानी सिंह) के कुर्सी में पिन धसा दिया था जो कि बैठने पर चुभ गया। श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) साहब ने दरोगा जी को बोले कि मारो इन दोनो को जब तक कबूल न कर ले कि पिन को कुर्सी में हमने ही धसाया है व कबूल नामे पर इन लोगों का दस्तखत बनवाले। तब दरोगा जी हम दोनों को झापड़ से मार-मार कर सादे कागज पर दस्तखत बनवा लिये व श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) साहब बोले तुम दोनों हमारे स्टेनो (नेहा रानी) के पैर पकड़ कर माफी मागो, तब हम लोगों से दरोगा जी के सामने नेहा रानी से जबरदस्ती पैर पकड़वाये। इस घटना की सूचना उसी दिन श्रीमान जिला जज साहब को मौखिक दिया कोई कार्यवाही नहीं हुआ। माननीय महोदय जी पुलिस या पुलिस का कोई भी अधिकारी न्यायालय परिसार या न्यायालय कक्ष में किसी भी कर्मचारीगण को मारते पीटते है तो न्याय परिवार के मुखिया को ठेस पहुंचता है, न्याय कि गरिमा को समाप्त समझा जाता है।

अतः माननीय महोदय जी से प्रार्थना है कि एक सप्ताह के अन्दर जाँच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें। यदि इस प्रार्थना पत्र की जांच नहीं हुई तो संघ मजबूर होकर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व प्रशासनिक न्यायमूर्ति भदोही, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ व कर्मचारी संघ प्रदेश अक्षयक्ष व प्रदेश महामंत्री जी को इसकी सूचना भेजी जायेगी।

ओम बहादुर श्रीवास्तव
उपाध्यक्ष

कृपाशंकर पाण्डेय
कोषाध्यक्ष

कमलेश सिंह जैसवार
मंत्री

सदस्यगण :-

1. श्री अब्दुल नवाब चिकवा-संरक्षक *अब्दुल नवाब चिकवा*
2. श्री जयशंकर प्रसाद-आयव्यय निरीक्षक *जयशंकर प्रसाद*
3. श्री संजय राय-सूचनामंत्री *संजय राय*
4. श्री छक्कू लाल-प्रचारमंत्री *छक्कू लाल*
5. श्री राजेश कुमार जायसवाल-प्रचारमंत्री *राजेश कुमार जायसवाल*

संलग्नक: यथोपरि आठ वर्क *द्वारा प्रारंभ*

ओम बहादुर श्रीवास्तव
उपाध्यक्ष

कार्यालय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सिविल कोर्ट भदोही-ज्ञानपुर।

आर०टी०आई०नम्बर 09 सन 2021

श्री कमलेश सिंह जैसवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिविल कोर्ट भदोही के द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(2)के अन्तर्गत यह आवेदन दिया गया है कि दिनांक -05.02.2021 को सफाई कर्मी श्री अनवर अहमद एवं श्री अब्दुल कलाम की सिविल जज(सीनियर डिवीजन) के विश्राम कक्ष में पिटाई की गई , जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने एक प्रतिवेदन जिला जज महोदय को दिनांक-05.02.2021 का प्राप्त कराया।

प्रार्थी ने यह प्रश्न पूछा है कि उसके द्वारा दिए गये प्रतिवेदन पर क्या आरोपियों के विरुद्ध कोई जाँच संस्थित की गयी तो उनका नाम बताने की कृपा करें ?

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जाँच रजिस्टर से यह रिपोर्ट दी गयी कि प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर आरोपियों के विरुद्ध जाँच संस्थित न करके प्रतिवेदन पर जिन लोगों ने शिकायतकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किये हैं , उन्हीं के विरुद्ध जाँच संख्या -2/2021 संस्थित कर दी गयी है, जिनके नाम निम्नवत हैं:-

- (1)-श्री कमलेश सिंह जैसवार
- (2)-श्री ओम बहादुर श्रीवास्तव
- (3)-श्री कृपा शंकर पाण्डेय
- (4)-श्री अब्दुल नवाब चिकया
- (5)-श्री जय शंकर प्रसाद
- (6)-श्री संजय राय
- (7)-श्री छक्कू लाल
- (8)-श्री राजेश कुमार जायसवाल

अतः सूचना ग्रहण करने का कष्ट करें कि उपरोक्त 8 लोगों के विरुद्ध जाँच संख्या-02 सन 2021 संस्थित की गयी है।

दिनांक-21.09.2021

(श्रीवास्तव)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/

अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं० 1

भदोही-ज्ञानपुर।

Central Public Information Officer
BHADOHI (Civil Court Gyanpur)

P.E. 2/21

6.2.21 (2)

कार्यालय-जिला न्यायाधीश, भदोही।

आदेश संख्या- 87/ दिनांक:भदोही6, 2021

आदेश

दिनांक-05.02.2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमलेश सिंह जयसवार के द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रशासनिक अधिकारी श्री श्रीकुमार को प्राप्त कराया गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारी श्री श्रीकुमार मेरे समक्ष लाये और उन्होंने बताया कि यह प्रत्यावेदन कमलेश सिंह जयसवार के द्वारा चतुर्थ श्रेणी संघ की ओर से दिया जा रहा है। श्री श्रीकुमार द्वारा यह भी बताया गया कि अभी मैंने इसकी प्राप्ति नहीं की है और श्री कमलेश सिंह जयसवार मेरे साथ आकर आपके विश्राम कक्ष के बाहर उपस्थित हैं। तत्पश्चात् श्री कमलेश सिंह जयसवार ने उक्त प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करने की सहमति जताई और यह कहा कि उक्त प्रतिवेदन उनके द्वारा न्यायालय के दो स्वीपर कमश: अनवर अली व अब्दुल कलाम के प्रतिवेदन के आधार पर दिया जा रहा है। मेरे द्वारा यह पूछने पर कि ऐसा प्रतिवेदन आपके संघ के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? तब श्री कमलेश सिंह जयसवार द्वारा बताया गया कि यह प्रतिवेदन देने से पूर्व उन्होंने प्रांतीय संघ से पूछा है। यह प्रतिवेदन अंजुमन हिमायत चपरासियान के लेटर पैड पर दिया गया है, जिस पर कुल 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के हस्ताक्षर हैं। ये सभी 8 कर्मचारीगण सर्वश्री ओम बहादुर श्रीवास्तव दफ्तरी न्यायालय सिविल जज जू0डि0, कृपाशंकर अमीन अर्दली, कमलेश सिंह जैसवार अर्दली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब्दुल नवाब चिकवा दफ्तरी, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश तृतीय, जयशंकर प्रसाद अर्दली न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, संजय राय, छक्कूलाल प्रारुस सर्वर व राजेश कुमार जायसवाल दफ्तरी, न्यायालय अपर जिला जज द्वितीय हैं। उक्त कर्मचारीगण की तरफ से प्रतिवेदन दिए जाने की प्रक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती है तथा ऐसे में उक्त कर्मचारीगण जिनके द्वारा इस प्रत्यावेदन पर हस्ताक्षर किए गये हैं, के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक है।

अतः इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच संस्थित की जाती है तथा जांच अधिकारी श्री आलोक कुमार यादव अपर जनपद न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारात को नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अन्दर सप्ताह जांच कर अपनी आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रारम्भिक जांच संख्या आबंटित करते हुए तदनुसार वांछित आवश्यक प्रपत्र जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना सनिश्चित करें।



3/0
30.11.21

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायाधिपति महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
प्रयागराज।

शिकायत-पत्र द्वारा-

1. अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद उम्र 55 वर्ष
2. अब्दुल कलाम पुत्र वरकत अली उम्र 28 वर्ष
निवासीगण-पोस्ट आफिस की पीछे, ज्ञानपुर, थाना
ज्ञानपुर, जिला भदोही।

माननीय महोदय,

1. शिकायतकर्ता परिवादी जनपद न्यायालय भदोही ज्ञानपुर में 20वर्ष एवं 15 वर्ष से क्रमशः संविदा पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और संविदा पर रहते हुये भी प्रार्थीगण अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से करते चले आ रहे है।

2. यह कि दिनांक 29.01.2021 को समय लगभग 10.30 बजे हम शिकायतकर्ता को भदोही में तैनात सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव ने अपने चपरासी से चैम्बर में बुलवाया जहां पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ज्ञानपुर चौकी इंचार्ज सुनील यादव को पहले से ही बुलाकर बैठा रखा था और कहा कि तुम लोगो ने मेरी स्टेनों नेहा सिंह के कुर्सी में पिन लगाया था, इसके कारण नेहा को पिन चुभा, तुम लोगोने ऐसा क्यों किया। तब हम लोगोने कहा कि श्रीमान् जी हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस पर श्री अभिनव यादव सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने अपने चैम्बर में बैठाये दरोगा सुनील यादव को ललकारा कि इन सालों को तब तक मारो जब तक कबूल न कर ले कि पिन इन्हीं लोगो ने लगाया है, तब चौकी इंचार्ज हम लोगो को 10-10 झापड़ मारे और गाली दिये तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने कहा कि अपने अल्लाह की कसम खाकर कहो, नहीं तो बहुत पीटेगे इस पर हम लोगोने गिड़-गिड़ाते रहे कि हम लोगोने कोई गलती नहीं किया तो सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने दरोगा से कहा कि

31-1-22

अब्दुल कलाम

ऐसे नहीं कबुलेंगे इन्हें चार-चार झापड़ लगाओ इसके बाद चौकी इंचार्ज ने कहा कि भोसड़ी वालें सुन नहीं रहे हो और फिर चार-चार झापड़ मार कर एक कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये।

3. यहकि श्रीमान् सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिबन्ध यादव ने कहा कि मेरी स्टेनो नेहा सिंह का पैर पकड़ कर माफी मांगो नहीं तो यहां से सीधे जेल भेजवा देगे।

4. यहकि उस दिन हम लोग रोते हुये नजारत में बैठे थे और केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह से सारी घटना बताया। केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह एवं डिप्टी नाजिर श्री आनन्द तिवारी ने अपने साथ हम लोगो को जिला जज साहब के यहां ले गये और जिला जज साहब को हम लोगो ने सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन जिला जज साहब ने कुछ नहीं किया।

5. यह कि दिनांक 01.02.2021 को सुबह 10.30 बजे श्रीमान जिला जज महोदय ने हम प्रार्थीगण को अपने चैम्बर में बुलाया और कई न्यायिक अधिकारियों, नाजिर, डिप्टी नाजिर की उपस्थिति में कहा कि तुम लोग कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हो तो मन से निकाल दो नहीं तो जेल भेजवा दूंगा और नाजिर से कहा कि ले जाओ इन दोनों के खिलाफ एफ0आई0आर0 करा दो।

6. यह कि श्रीमान सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव तथा दरोगा सुनील यादव ने प्रार्थीगण के मजहब के खिलाफ अपमानित करते हुये नेहा रानी का पैर पकड़ कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया और हम लोगो के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया।

7. यहकि प्रार्थीगण विगत 15-20 वर्ष से मात्र 6000/-रूपये पर पूरे कचहरी परिसर के सफाई का कार्य करते है और हमारी निष्ठा पर कभी किसी ने अंगुली नहीं उठायी, लेकिन जिला जज साहब ने श्री अभिनव यादव, नेहा रानी के कु-कृत्यों को छिपाने के लिए हम प्रार्थीगण की प्रताड़ना शुरू कर दिया।

8. यहकि प्रार्थीगण ने मजबूर होकर अपने अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार के द्वारा मानवाधिकार न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया। जहां जज साहब ने हमारा परिवाद यह आदेश करके वापस

21/02
अब्दुल वायाज

किया कि सक्षम न्यायालय में इसे दायर करें। मैं इस शिकायत-पत्र के साथ परिवाद की छाया प्रति तथा अनवर व अब्दुल कलाम का शपथपत्र संलग्न कर रहा हूँ।

9. यह कि प्रार्थीगण द्वारा परिवाद दाखिल करने से जिला जज महोदय अत्यन्त नाराज हो गये हैं और हम दोनों को जिला जज ने दिनांक 12.02.2021 को एक-एक नोटिस दिया जिसका जबाब हम लोगोंने जिला जज महोदय को दिनांक 15.02.2021 को दे दिया। उक्त दोनों नोटिस तथा प्रार्थीगण द्वारा दिये गये जबाब की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

10. यहकि प्रार्थीगण के परिवाद की पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा दरोगा सुनील यादव को सिविल जज, सीनियर डिवीजन के चैम्बर में भेजने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, भदोही ने यह रिपोर्ट दिया है कि श्री प्रभाष त्रिपाठी, मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 29.01.2021 को सुबह 10.23 पर फोन करने पर श्री अभिनव यादव के चैम्बर में भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

11. यहकि प्रार्थीगण के परिवाद में प्रार्थीगण अनवर व अब्दुल कलाम, केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह तथा सिविल जज के अर्दली का बयान हो चुका है जिनके बयानों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है और मेरे परिवाद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर के यहां दर्ज करने के उपरान्त जिला जज महोदय ने सी0जे0एम0 को प्रताड़ित करना प्रारम्भ कर दिये हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि हम लोगो की परिवाद को खारिज कर दिया जाय।

12. श्रीमान् जिला जज महोदय ने इस घटना को दबाने व छिपाने के उद्देश्य से हमारे परिवाद की पत्रावली में बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसमें मानवाधिकार न्यायालय में दो बार पत्र भेजकर पत्रावली मंगवायी और पीठासीन अधिकारी पर दबाव दिया कि किसी तरह इस मामले को खत्म करें। मूल पत्रावली जब मुझे वापस की गयी तो सी0जे0एम0 न्यायालय में दाखिल करने के पूर्व मैंने पूरी पत्रावली की छायाप्रति करायी है। जिला जज साहब के दोनों पत्र इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

31/02

अब्दुल कलाम

13. श्रीमान् जी हम लोग मुस्लिम हेला जाति के है जिसे समाज अत्यन्त हेय दृष्टि से देखता है। हम लोग के साथ की गयी हिंसात्मक कार्यवाही और जिला जज द्वारा ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देने का सम्पूर्ण साक्ष्य शिकायतपत्र के साथ संलग्न है।

14. * अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि हम प्रार्थीगण को न्याय देने की कृपा करें।

दिनांक
01-06-21

प्रार्थीगण

31-102

अबुल क़ासिम